10.7.2018 वकुलाय उपस्थित।

अप्रार्थी के अभिभावक द्वारा प्रा०पत्र मय दस्तावेज एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न है। वकुलाय की बहस समाप्त की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत रेकर्ड व प्रस्तुत उद्दरणो का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी के वकील का प्रमुख तर्क यह है कि प्रस्तुत प्रा०पत्र वन विभाग के सक्षम अधिकारी यथा जिला वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर क्षेत्रीय वन अधिकारी के स्वंय स्तर से बिना विभागीय अनुमती के प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी वनविभाग द्वारा नियुक्त अभिभावक के पास सक्षम अधिकारी का नियुक्ति / अनुमति पत्र नही होने से प्रस्तुत प्रा०पत्र प्राथमिक रूप से चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष विभिन्न उद्दरण पेश कर यह प्रकरण धारा 136 के अन्तर्गत परिपोषणीय नही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि धारा 136 रा०भू०राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा०पत्र में धारा 79 CPC में वर्णित प्रावधानो की पालना नही की गई है एवं यह प्रा०पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा विभागीय स्वीकृती प्राप्त किये बिना अपने स्तर पर ही प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में संशोधित दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 नियम 1 व 2 की पालना नही की गई है। सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किसी भी वाद पत्र या लिखित कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेगे जिसे सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित नियुक्त करे और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जायेगा जिसे सरकार इस प्रकार नियुक्त करे। चूंकि इस प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के अनुसार CPC के प्रावधानो के अनुसार न तो राज्य सरकार अथवा विभागीय उच्च अधिकारी की अनुमती अथवा सहमती से यह प्रा०पत्र

उपखण्ड अधिकारी देसूरी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
प्रस्तुत किया गया है न ही इस प्रकरण को पैरवी करने के लिये विभागीय स्तर से सरकारी वकील की नियुक्ति ही की गई है। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप मानने योग्य है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किया जाता है तथा प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है की विभागीय अनुमती एवं प्लीडर इत्यादि कि नियुक्ति के पश्चात प्रावधित नियमो कि पालना करते हुए वाद अथवा प्रार्थना पत्र नये सिरे से प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देसूरी	